प्रपत्र-5

*ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक-2ब०/जला०-01-06/2019 - 268 - /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

***द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक- 20/03/2020

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2019-20 में जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य के 12 नगर निगमों को कुल ₹1000.00 लाख (दस करोड़ रु०) मात्र राशि की स्वीकृति।**

आदेशः- स्वीकृत।

विगत वर्षों में जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप वर्षापात में कमी एवं भू-गर्भ जल का अत्यधिक दोहन करने के कारण भू-जल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दक्षिणी बिहार के साथ-साथ उत्तरी बिहार में भी भू-जल स्तर में गिरावट हो रही है। इस आपदा जनक स्थिति पर दिनांक- 13.07.2019 को बिहार विधान मंडल के सेंट्रल हॉल में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया।

2. उक्त के आलोक में राज्य में बढ़ती जनसंख्या, मानवीय गतिविधि एवं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न परिस्थितिकीय चुनौतियों से निपटने तथा राज्य में परिस्थितिकीय संतुलन का संधारण करने के व्यापक एवं बहुआयामी उद्देश्य से जल को प्रदूषण मुक्त रखने, इसके स्तर को संतुलित बनाये रखने, पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, हरित (वृक्ष/वन) आच्छादन को बढ़ावा देने, नवीकरणीय उर्जा के उपयोग एवं उर्जा की बचत पर बल देने तथा बदलते पारिस्थितिक परिवेश के अनुरूप कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को नये आयाम देने के लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान का शुभारंभ किया गया है।

3. उक्त के आलोक में जल-जीवन-हरियाली अभियान से संबंधित विभिन्न घटकों में राज्य के नगर निकायों द्वारा विभिन्न कार्य कराया जाना है। तद्‌लोक में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्न तालिका के स्तम्भ- 4 में अंकित नगर निगमों को राज्य योजनान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ- 5 के अनुसार सहायक अनुदान के रूप में कुल राशि ₹1000.00 लाख (दस करोड़ रु०) मात्र की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि रुपये में)

क्र०सं०	योजना का नाम	जिला	नगर निगम का नाम	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4	
1	जल-जीवन-हरियाली अभियान	पटना	पटना नगर निगम	3,39,67,983.00
2		नालंदा	बिहारशरीफ नगर निगम	59,95,139.00

3		भोजपुर	आरा नगर निगम	52,72,378.00
4		गया	गया नगर निगम	95,61,249.00
5		भागलपुर	भागलपुर नगर निगम	80,69,927.00
6		मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर नगर निगम	71,48,597.00
7		दरभंगा	दरभंगा नगर निगम	59,70,354.00
8		कटिहार	कटिहार नगर निगम	48,57,090.00
9		बेगुसराय	बेगुसराय नगर निगम	50,82,360.00
10		मुंगेर	मुंगेर नगर निगम	43,01,779.00
11		पुर्णियाँ	पूर्णियाँ नगर निगम	56,92,224.00
12		सारण	छपरा, नगर निगम	40,80,920.00
			कुल	**10,00,00,000.00**

कुल स्वीकृत राशि ₹1000.00 लाख (दस करोड़ रु०) मात्र।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹1000.00 लाख (दस करोड़ रु०) मात्र का उपयोग सभी नगर निगमों द्वारा जल–जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत निम्नलिखित घटकों के लिए किया जाएगा :–

(क) नगर निकायों के स्वामित्व के भवनों में Rain Water Harvesting निर्माण,

(ख) अतिक्रमण मुक्त कुआँ के पास सोख्ता निर्माण,

(ग) खुले मैदानों में सोख्ता निर्माण,

(घ) प्याऊ/स्टैंड पोस्ट/चापाकल के पास सोख्ता निर्माण,

(ड़) अतिक्रमण मुक्त तालाबों/पोखरों का उड़ाहीकरण/जीर्णोद्धार,

(च) अतिक्रमण मुक्त कुओं का उड़ाहीकरण/जीर्णोद्धार।

5. विदित हो कि उपर्युक्त कंडिका– 4 में वर्णित संरचनाओं के लिए मॉडल प्राक्कलन विभिन्न विभागीय पत्रांकों यथा– पत्रांक– 872, दिनांक– 05.07.2019, पत्रांक– 897, दिनांक– 11.07.2019, पत्रांक– 1298, दिनांक– 06.09.2019 एवं पत्रांक– 6381, दिनांक– 03.12.2019 द्वारा सभी नगर निकायों को उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसकी प्रति विभागीय वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है।

6. उक्त स्वीकृत राशि ₹1000.00 लाख (दस करोड़ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019, पत्रांक– 733, दिनांक– 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक), पत्रांक– 1081, दिनांक– 11.12.2019 (द्वितीय अनुपूरक), पत्रांक– 331, दिनांक– 05.03.2020 (तृतीय अनुपूरक) एवं पत्रांक– 1670, दिनांक– 03.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर निगमों के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

7. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

9. स्वीकृत कुल राशि ₹1000.00 लाख (दस करोड़ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 मुख्य शीर्ष– 2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष– 01–जल पूर्ति, लघुशीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष– 0106–जल–जीवन–हरियाली, विपत्र कोड– **48-2215011910106,** विषय शीर्ष 0106.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

10. उक्त राशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत की जा रही है:–

(i) *जल–जीवन–हरियाली अभियान अन्तर्गत कंडिका– 04 में वर्णित घटकों में से चयनित योजनाओं का कार्यान्वयन सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए संबंधित नगर निकाय द्वारा कराया जाएगा।*

(ii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iii) **योजना का कार्यान्वयन ई०–टेंडरिंग के माध्यम से अथवा विभागीय संकल्प संख्या– 3557, दिनांक– 20.11.2014 के आलोक में निविदा अथवा विभागीय रूप से कराया जाएगा।**

(iv) योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशो के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

11. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

12. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

13. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 2ब०/जला०–01–06/2019 के पृष्ठ सं०–....63..../टि० पर दिनांक–18/03/2020.... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–....64..../टि० पर दिनांक– 20/03/2020... को प्राप्त है।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० 20.03.2020

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–06/2019 – 268 – /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 20/03/2020

प्रतिलिपिः– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 20.03.2020

सरकार के विशेष सचिव।